Golden Research Thoughts
Vol -1 , ISSUE –1, July - 2011
ISSN:- 2231-5063

ORIGINAL ARTICLE

छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास में सी.एस.आई.डी.सी. की गतिविधियों का अध्ययन

श्रीमती विजयश्री यादव

व्याख्याता पंचायत, शास.उ.मा.विद्यालय, घुटकू जिला बिलासपुर (छ.ग.)

प्रस्तावना –

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व इस राज्य का औद्योगिक क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य में सम्मिलित रहा है। उस समय राज्य में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने एवं छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहित एवं आकर्षित करने के लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम की एक सहायक कंपनी म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम रायपुर दिनांक 16.11.1981 से स्थापित रही है। जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ क्षेत्र का औद्योगिक विकास किया जाता रहा है। किंतु म.प्र. राज्य के विभाजन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। इस कारण म.प्र. राज्य औद्योगिक केन्द्र विकास निगम रायपुर का नाम परिवर्तित कर एक कम्पनी के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड रायपुर (सी. एस.आई.डी.सी.) की स्थापना की गई। यह निगम उसी समय से छत्तीसगढ़ विकास के औद्योगिक विकास में अपनी अहम् भूमिका निभा रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य–

1. सी.एस.आई.डी.सी. लिमिटेड रायपुर का प्रमुख उद्देश्य नवीन औद्योगिक विकास केन्द्रों का विकास तथा उद्योग विभाग द्वारा पूर्व में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों का रख–रखाव करना है।
2. उद्योगपतियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मुख्यतः भू–खण्ड विकास, शेड निर्माण सड़क निर्माण, जल आपूर्ति एवं विद्युत व्यवस्था प्रमुख हैं।
3. औद्योगिक विकास केन्द्रों में सामाजिक व बुनियादी अधोसंरचना का विकास करना है।
4. निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्रो एवं औद्योगिक क्षेत्रों में दूरभाष केन्द्र, बैंकिंग सुविधा, पोस्ट आफिस, अस्पताल, स्कूल, फायर बिग्रेड, पुलिस थाना, व्यावसायिक परिसर, गुमटी स्थापना व सतत् वृक्षारोपण आदि कार्य करना है।
5. वृहत व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आकर्षित करना।
6. विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासकीय अनुदान व शासकीय प्रत्याभूति पर राष्ट्रीयकृत बैंको व वित्त निगम से ऋण प्राप्त करना।
7. उद्यमियों व विभिन्न शासकीय विभागों में समन्वय स्थापित करना।

अध्ययन का कार्यक्षेत्र –

सी.एस.आई.डी.सी. के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत राज्य के संपूर्ण 18 जिले आते हैं। किंतु निगम ने अपनी औद्योगिक विकास से संबंधित गतिविधियों का विस्तार 6 जिलों तक किया है तथा अन्य 5 जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों का कार्य हाथ में लिया गया है साथ ही राज्य में औद्योगिक विकास की दृष्टि से इन जिलों के अंतर्गत अपनी 2 शाखाएँ दुर्ग एवं बिलासपुर में स्थापित की हैं तथा 4 औद्योगिक विकास केन्द्र एवं 7 औद्योगिक क्षेत्र किये हैं।

शोध प्रविधि –

प्रस्तुत अध्ययन से संबंधित समंको का संकलन प्रश्नावली के आधार पर किया गया है, जिसके अधीन सी.एस.आई. डी.सी. के प्रधान कार्यालय, शाखा कार्यालय व जिला उद्योग कार्यालय से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। साथ ही प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का संकलन किया गया है।

सी.एस.आई.डी.सी की गतिविधियाँ –

छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास में सी.एस.आई.डी.सी. की गतिविधियों का अध्ययन करने पर पाया गया है कि निगम ने राज्य में अपने कार्यक्षेत्र के अधीन राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त तथा भारत शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त औद्योगिक विकास केन्द्रों एवं निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, महासमुंद एवं कबीरधाम जिले में की है। इन जिलों के विकास केन्द्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित कर औद्योगिक इकाइयों को भूमि का आबंटन किया गया है। जिनमें निगम ने उद्योगों के योग्य भूमि का आबंटन कर वृहद, मध्यम व लघु उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित किया है तथा उन्हें बुनियादी सुविधाएं व अन्य सामाजिक व्यवस्थायें की है। निगम ने औद्योगिक विकास केन्द्रों एवं औद्याोगिक क्षेत्रों में बुनियादी एवं सामाजिक अधोसंरचना के अन्तर्गत भूमि, जल, सड़क, विद्युत, शेड्स, नाली, केन्टीन, षिक्षा, चिकित्सा, बैंकिग, बीमा, गोदाम काम्पलेक्स, प्रषासनिक भवन, साइट आफिस, फील्ड होस्टल, पोस्ट आफिस व फायर बिग्रेड आदि व्यवस्थाएं की है। सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा विकसित औद्योगिक विकास केन्द्र एवं औद्योगिक क्षेत्र निम्न है :–

राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त औद्योगिक विकास केन्द्र –

1. औद्योगिक विकास केन्द्र 'सिरगिट्टी', जिला–बिलासपुर
2. औद्योगिक विकास केन्द्र 'उरला', जिला–रायपुर

भारत शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त औद्योगिक विकास केन्द्र –

1.औद्योगिक विकास केन्द्र 'सिलतरा', जिला–रायपुर
2.औद्योगिक विकास केन्द्र 'बोरई' जिला–दुर्ग

निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र–

1.औद्योगिक क्षेत्र 'तिफरा' जिला–बिलासपुर
2.औद्योगिक क्षेत्र 'भनपुरी' जिला–रायपुर
3.औद्योकिग क्षेत्र 'सिलपहली' जिला–बिलासपुर
4.औद्योगिक क्षेत्र 'अंजनी', जिला–बिलासपुर
5.औद्योगिक क्षेत्र 'नयनपुर : गिरवरगंज', जिला–सरगुजा
6.औद्योगिक क्षेत्र 'बिरकोनी' जिला–महासमुंद
7.औद्योगिक क्षेत्र 'हरिनछपरा' जिला–कबीरधाम

औद्योगिक विकास केन्द्र 'सिरगिट्टी', जिला–बिलासपुर में 31 मार्च 2009 तक शासन द्वारा प्रस्तावित भूमि 450.51 हेक्टर में से निगम को 375.17 हेक्टर भूमि प्राप्त हुई है। इस उपलब्ध भूमि में से निगम द्वारा 331.44 हेक्टर भूमि विकसित कर उद्योगों के आबंटन योग्य बनाई गई है। जिसमें से इस विकास केन्द्र में स्थापित/कार्यशील 08 वृहद/मध्यम उद्योगों को 56.781 हेक्टर व 236 लघु उद्योगों को 143.597 हेक्टर भूमि का आबंटन किया गया है। उद्योगों में क्रमशः 41032.37 लाख रू. व 4036.20 लाख रू. (कुल 45068.57 लाख रू.) पूंजी विनियोजित की गई है तथा क्रमशः 1010 व 3511 (कुल 4521) व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। साथ ही निगम द्वारा 40 शेड का निर्माण कर औद्योगिक इकाईयों को आबंटित किये गये हैं एवं 33/11 व 220/132 के.व्ही.ए. विद्युत सब स्टेशन व 6.78 एम.एल.डी क्षमता जल आपूर्ति साधन, सड़क, नाली व अन्य सामाजिक व्यवस्थायें की हैं तथा 3000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है।

औद्योगिक विकास केन्द्र 'उरला' जिला–रायपुर में 31 मार्च 2009 तक 318 हेक्टर भूमि निगम को प्राप्त हुई। इस भूमि को पूर्णरूपेण विकसित किया गया है। किन्तु 270 हेक्टर भूमि उद्योगों के आबंटन योग्य मानी गई है। निगम ने आधारभूत व सामाजिक अधोसंरचना सम्बन्धी सभी व्यवस्थायें पूर्ण की है। इस विकास केन्द्र में 381 लघु उद्योग एवं 33 वृहद/मध्यम उद्योग स्थापित/ उत्पादनरत हैं। जिन्हें क्रमशः 181.707 हेक्टर व 88.293 हेक्टर (कुल 270 हेक्टर) भूमि का आबंटन किया गया है। इनमें क्रमशः 9093.70 लाख रू. व 56741.47 लाख रू. (कुल 65835.17 लाख रू.) पूंजी बेष्ठित की गई है तथा क्रमशः 11528 व 4467 (कुल 15995) व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। निगम द्वारा 80 शेड निर्मित का लघु औद्योगिक इकाइयों को आबंटित किये गये हैं। यहां फायर बिग्रेड वाहन उपलब्ध है। साथ ही प्रशासनिक भवन, साइट आफिस फील्ड होस्टल शॉपिंग काम्पलेक्स, गोदाम, केन्टीन भवन इत्यादि स्थापित हैं।

औद्योगिक विकास केन्द्र सिलतरा जिला–रायपुर में 31 मार्च 2009 तक शासन द्वारा प्रस्तावित भूमि 1675:143 हेक्टर में से निगम को 1320.694 हेक्टर भूमि उपलब्ध हुई है। इस भूमि में से 911.270 हेक्टर भूमि उद्योगों के लिये आबंटन योग्य विकसित की गई है। निगम ने 67 लघु उद्योगों को 24.408 हेक्टर भूमि एवं 13 वृहद/मध्यम उद्योगों को 842 हेक्टर भूमि, कुल 866.408 हेक्टर भूमि का आबंटन किया है ये लघु उद्योग एवं वृहद/मध्यम उद्योग स्थापित/कार्यरत हैं जिनमें क्रमशः 3216 लाख रू. व 201818.32 लाख रू. (कुल 205034.32 लाख रू.) पूंजी विनियोग किया गया है तथा क्रमशः 558 व 4780

(कुल 5288) व्यक्तियों को रोजगार प्रापत हुआ है। निगम द्वारा इस विकास केन्द्र में 400 के.व्ही. व 33/11 के.व्ही.ए. सब स्टेशन गोदाम कामपलेक्स, शॉपिंग काम्पलेक्स, बैंक काउन्टर, इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की स्थापना की है तथा लगभग 400 लाख रूपये की लागत से एनीकेट का निर्माण किया है तथा 10 एम.एल.डी. क्षमता के 2 नग वर्टीकल टर्बाइन पंप लगाये हैं। श्रमिक बच्चों के अस्पताल व स्कूल की व्यवस्था की है तथा 22000 से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया है।

औद्योगिक विकास केन्द्र 'बोरई' जिला–दुर्ग में 31 मार्च 2009 तक 800 हेक्टर प्रस्तावित भूमि में से 439 हेक्टर भूमि का आधिपत्य निगम को प्राप्त हो चुका है। इस भूमि में से 192.430 हेक्टर भूमि आबंटन योग्य विकसित की है। इस विकास केन्द्र में 50 लघु उद्योग एवं 07 वृहद/मध्यम उद्योग स्थापित हुये है जो उत्पादनरत हैं। इन्हें निगम द्वारा क्रमशः 30.221 हेक्टर व 88.547 हेक्टर (कुल 118.768 हेक्टर) भूमि का आबंटन किया गया है। इन लघु एवं वृहद/मध्यम उद्योगों में क्रमशः 1331 लाख रू. व 31860 लाख रू. (कुल 33191 लाख रू.) पूंजी निवेशित की गई है तथा क्रमशः 1748 व 775 (कुल 2523) व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। इस क्षेत्र में 3.222 हेक्टर भूमि पर 35 शेड 24 लघु लघु उद्योगों को आबंटित किये गये हैं। इस विकास केन्द्र में निगम द्वारा 133/04 के.व्ही.ए. सब स्टेशन की स्थापना 3.25 कि.मी. डामरीकृत सड़क निर्माण, 6.5 एम.जी.डी. क्षमता की जल प्रदाय व्यवस्था शिवनाथ नदी पर इन्टेकबेल का निर्माण शॉपिंग काम्पलेक्स, सड़कों पर स्ट्रीटलाईट आदि व्यवस्थायें की गई है। साथ ही यहां फायर ब्रिगेड वाहन उपलब्ध है तथा 80 लाइन क्षमता वाला इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज कार्यशील है एवं पर्यावरण उन्नयन हेतु 5000 पौधे का रोपड़ किया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र 'तिफरा' जिला–बिलासपुर में 31 मार्च 2009 तक राज्य शासन द्वारा 52.92 हेक्टर भूमि निगम को उपलब्ध कराई गई हैं। इस भूमि में से 36.82 हेक्टर भूमि आबंटन योग्य विकसित की हैं जिसमें से इन क्षेत्र में स्थापित 129 लघु उद्योगों को 21.63 हेक्टर एवं 01 वृहद/मध्यम उद्योग को 9.35 हेक्टर (कुल 30.98 हेक्टर) भूमि का आबंटन किया गया है। यहां उत्पादनरत 129 लघु उद्योगों व 01 वृहत/मध्यम उद्योग में क्रमशः 973.04 लाख रू. व 334.95 रू. (कुल 1307.99 लाख रू.) पूंजी विनियोजित हैं तथा क्रमशः 1940 व 78 (कुल 2018) व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। निगम द्वारा 15 शेड निर्मित कर लघु उद्योगिक इकाईयों को आबंटित किये गये हैं सभी बुनियादी व सामाजिक व्यवस्थायें उपलब्ध करायी गई हैं।

औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी व अन्य जिला रायपुर में 31 मार्च 2009 प्रस्तावित उपलब्ध 280 हेक्टर भूमि में से 237.807 हेक्टर भूमि आबंटन योग्य विकसित की गई है। निगम द्वारा इस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित/कार्यरत 276 लघु उद्योगों को 183.957 हेक्टर व 11 वृहद/मध्यम उद्योगों को 46.35 हेक्टर (कुल 230.307 हेक्टर) भूमि आबंटित की गई है। इन उद्योगों में क्रमशः 4636.39 लाख रू. व 19580.73 लाख रू. (कुल 24317.12 लाख रू.) पूंजी निवेशित की गई है तथा क्रमशः 2613 व 2502 (कुल 5115) व्यक्तियों को रोजगार मिला है। यहां निगम द्वारा उद्योगों को सभी आधारभूत व सामाजिक व्यवस्थायें उपलब्ध करायी गई हैं।

औद्योगिक क्षेत्र 'सिलपहरी' जिला बिलासपुर में 31 मार्च 2009 तक राज्य शासन द्वारा निगम को 19.429 हेक्टर भूमि हस्तान्तरित की गई हैं जिसमें 10.89 हेक्टर भूमि आबंटन योग्य रही है इस भूमि में से 9.54 हेक्टर भूमि 07 लघु उद्योगों को निगम ने आबंटित की है। इन उद्योगों में 1.50 करोड़ रू. पूंजी विनियोजित है तथा 112 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। निगम ने यहां सभी आधारभूत एवं सामाजिक अधोसंरचना का पूर्ण प्रबन्ध किया हैं।

लघु औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर जिला–सरगुजा में 31 मार्च 2009 तक निगम को प्राप्त 51 हेक्टर भूमि में से 24.06 हेक्टर भूमि को विकसित कर 11.10 हेक्टर भूमि 03 लघु उद्योगों को आबंटित की गई है। इन उद्योगों में 5 करोड़ पूंजी निवेश हुआ है तथा 85 व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

लघु औद्योगिक क्षेत्र 'बिरकोनी' जिला–महासमुन्द में 31 मार्च 2009 तक राज्य शासन द्वारा निगम को 96.42 हेक्टर भूमि हस्तान्तरित की गई है। जिसमें 49 हेक्टर भूमि आबंटन योग्य विकसित कर 01 वृहद/मध्यम उद्योग को 23.04 हेक्टर भूमि आबंटित की है। इस उद्योग में 5 करोड़ रूपये पूंजी निवेश एवं 100 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है।

लघु औद्योगिक क्षेत्र 'हरिनछपरा' जिला–कबीरधाम में 31 मार्च 2009 तक निगम को 21 हेक्टर भूमि उपलब्ध हुई है। जिसमें 11 हेक्टर भूमि आबंटन योग्य विकसित की गई है। यहां उद्योगों को भूमि का आबंटन अभी नहीं हो पाया है।

सी.एस.आई.डी.सी. लि. रायपुर द्वारा अन्य लघु औद्योगिक क्षेत्र धमतरी जगदलपुर कांकेर दंतेवाड़ा एवं कोरबा में स्थापित करने हेतु भूमि का चयन किया जा रहा है।

निगम द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों के अन्तर्गत, फर्नीचर वर्क्स अभनपुर, कृषि उपकरण कारखाना, भिलाई, टेस्टिंग लैब भिलाई, कच्चा माल डिपो भिलाई एवं कोल डिपो भिलाई का संचालन किया जा रहा है।

सी.एस.आई.डी.सी. की अन्य गतिविधियों के अधीन विभिन्न पार्को की स्थापना उद्योगभवन व कार्पोरेट टावर का निर्माण, महिला उद्यमियों को शॉपिंग काम्पलेक्स का निर्माण उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं अपैरल ट्रैनिंग डिजाइनिंग सेन्टर का संचालन एवं अन्य औद्योगिक विकासात्मक क्रियाकलापों इत्यादि में संलग्नता निहित है।

निष्कर्ष –

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सी.एस. आई.डी.सी.) मर्यादित रायपुर, राज्य की एक ऐसी संस्था है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक विकास की गतिविधियों को बढ़ाने में सक्षम एवं सफल है। राज्य के औद्योगिक विकास में सी.एस.आई.डी.सी. की गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान है।

संदर्भ सूची –

1.सिसोदिया, डॉ.एम.एल. : छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 2005
2.विकास कार्यों की प्रगति 2006–07, सी.एस.आई.डी.सी लि. रायपुर
3.वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन 2006–07, 2007–08 एवं 2008–09 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग रायपुर
4.वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी, तिफरा, सी.एस.आई.डी.सी. लि. शाखा बिलासपुर
5.वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई, सी.एस.आई.डी.सी. लि. शाखा दुर्ग
6.उद्योग मार्गदर्षिका, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग
7.साइट आफिस, औद्योगिक विकास केन्द्र उरला एवं सिरगिट्टी।

श्रीमती विजयश्री यादव
व्याख्याता पंचायत, शास.उ.मा.विद्यालय, घुटकू जिला बिलासपुर (छ.ग.)